

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

क्रमांक एफ 20-01 /2021/11-6: चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन एतद् द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31/10/2019 के द्वारा लागू राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करती है ।

//संशोधन//

(एक) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक-10 में प्रावधानित परिशिष्ट- 6.10 में वर्णित "अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत (केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिए) के बिन्दु क्रमांक-1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

"उद्योग विभाग में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू-भाटक की दर 1 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में निर्धारित "द" श्रेणी के विकासखण्डों में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विभाग में औद्योगिक प्रयोजनार्थ संधारित लैण्ड बैंक/अविकसित भूमि में औद्योगिक पार्कों/क्षेत्रों के लिए विन्हांकित भूमि को छोड़कर विभागीय लैण्ड बैंक में उपलब्ध अन्य भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थापना हेतु भूमि आबंटन के लिए प्रब्याजि की दर क्षेत्र विशेष के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा निर्धारित गार्डिलाईन दर के 10 प्रतिशत राशि के बराबर होगी। यह निवेश प्रोत्साहन किसी भी हितग्राही को मात्र एक इकाई हेतु अधिकतम 10 एकड़ भूमि के लिए उपलब्ध होगी इस मामले में यह भी आवश्यक होगा कि आवेदित भूमि एकचक्र में विभाग के पास पूर्व से उपलब्ध हो।

(दो) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में नीति के परिशिष्ट-3 में वर्णित प्राथमिकता उद्योगों की सूची में "(अ) वर्गीकरण के आधार पर" के अनुक्रमांक-8 पर स्थित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्तन किया जाता है :-

8 विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण तथा रोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण ।

W-2

(तीन) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार नीति के परिशिष्ट-3 में वर्णित प्राथमिकता उद्योगों की सूची में “(ब) उत्पाद आधारित” में अनुक्रमांक-24 की वर्तमान प्रविष्टि को 25 पर अंतरित करते हुए अनुक्रमांक 24 पर नवीन प्रविष्टि का निम्नांकित अनुसार समावेश किया जाता है :-

24 निजी भूमि पर किये गये वृक्षारोपणों से प्राप्त काष्ठ पर आधारित उद्योग ।

25 ऐसे अन्य उत्पादन जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

(चार) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक-21 में वर्णित प्रावधान के अनुसार उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों के प्रावधान को संशोधित (प्रतिस्थापित) करते हुये, कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका में अनुक्रमांक-24 पर “एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची” को नवीन परिशिष्ट-6.24 पर समावेश किया जाता है :-

उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को नीति के परिशिष्ट 6.24 में सूचीबद्ध सेवा गतिविधियों को परिशिष्ट की तालिका के कॉलम-2 दर्शित क्षेत्रों के अनुसार एवं कॉलम-3 में वर्णित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश करने पर इस नीति के प्रावधानों में अन्यथा निर्धारित पात्रानुसार सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का लाभ प्रदान किया जावेगा ।

उक्त प्रयोजन के लिए एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जिला व्यापार एवं उद्योगों केन्द्रों द्वारा जारी किये जायेंगे ताकि उन्हें इस नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन उपलब्ध हो सके।

परिशिष्ट-6.24

औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका - 21 के अंतर्गत मान्य

एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची

क्रं.	सेवा गतिविधि का नाम	न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश की सीमा (राशि रुपये लाख में)
1	एनएबीएल प्रमाणित औद्योगिक/सामग्री परीक्षण सेवा प्रयोगशाला की स्थापना	15
2	उद्योग से संबंधित अनुसंधान विकास केन्द्र की स्थापना	100
3	मशीन संचालित बीज ग्रेडिंग सेवाएं की स्थापना	05
4	पावर लॉड्रिज की स्थापना	25
5	सामान्य इंजीनियरिंग एवं फेब्रीकेशन की सेवा इकाई की स्थापना	05
6	ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग सेन्टर सेवा इकाई की स्थापना,	10
7	केवल 'स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखण्डों में स्थित इकाईयों के लिये ओ.ई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त पहिया संतुलन केन्द्र सेवा इकाई की स्थापना,	05
	केवल 'स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखण्डों में स्थित इकाईयों के लिये	

8	हॉलमार्क प्रमाणन सेवा केन्द्र की स्थापना	10
9	थ्री डी प्रीटिंग जॉब वर्क इकाई की स्थापना	10
10	सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं इकाई की स्थापना (IT & IT Enabled Services)	50
11	हॉस्पिटैलिटी/पर्यटन/एम्प्लुजमेंट पार्क की स्थापना	500
12	मनोरंजन (एनीमेशन/वी.एफ.एक्स, गेमिंग, डबिंग) सेवा केन्द्र की स्थापना	05
13	Business Process Outsourcing (BPO) सेवा केन्द्र की स्थापना	30
14	इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन सेवा केन्द्र की स्थापना	10
15	जिम, व्यायाम शाला सेवा केन्द्र की स्थापना, केवल 'स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखंडों में स्थापित इकाईयों के लिये	10
16	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य सेवा गतिविधियां/क्षेत्र।	—

(पांच) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका में अनुक्रमांक-2 पर वर्णित एवं परिशिष्ट-6.2 अंकित तालिका में निम्नलिखित सुधार किया जाता है :-

- (अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए "स" श्रेणी के विकासखंडों में प्राथमिकता श्रेणी के "35" प्रतिशत अनुदान को "40" प्रतिशत अनुदान किया जाता है।
- (ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए "स" श्रेणी के विकासखंडों में उच्च प्राथमिकता श्रेणी के "40" प्रतिशत अनुदान को "45" प्रतिशत अनुदान किया जाता है।

तालिका के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

(छः) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.26 के पश्चात नवीन प्रावधान कंडिका क्रमांक 15.27 का निम्नानुसार समावेश किया जाता है :-

(15.27)

(15.27.1) ऐसी इकाई जिसने उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ किया किंतु, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी, यदि ऐसी इकाई द्वारा विभाग से किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसी इकाई की परिसंपत्ति को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत क्रय किये जाने पर नवीन क्रेता के द्वारा उद्योग आरंभ किये जाने पर इकाई को "नवीन इकाई" के रूप में अनुदान की पात्रता होगी।

उपरोक्त स्थिति में निवेश की गणना में नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि तथा अनुबंध के निष्पादन दिनांक से उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक एवं उत्पादन दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों हेतु 6 माह, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम हेतु 12 माह, बृहद उद्योगों हेतु 18 माह एवं मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों हेतु 24 माह तक किया गया निवेश मान्य होगा।

Wm2

(15.27.2) ऐसी इकाई जिसने उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ किया तथा विभाग से स्टाम्प शुल्क/भू-प्रीमियम में छूट प्राप्त किया गया है किंतु, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी, यदि ऐसी इकाई द्वारा विभाग से किसी भी प्रकार का अन्य आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो तो ऐसी इकाई की परिसंपत्ती को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत क्रय किये जाने पर, नवीन क्रेता के पक्ष में पूर्व में लिए गए छूट यथा स्टाम्प शुल्क छूट/भू-प्रीमियम में छूट की अधिरूचना के शर्तों के अधीन शेष अनुदान/छूट/रियायत हेतु पात्रता होगी।

(15.27.3) ऐसी इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरांत तथा वर्तमान में उत्पादनरत/बंद है परंतु विभाग से किसी भी प्रकार के अनुदान/छूट/रियायत नहीं लिया गया है। इकाई को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत क्रय किए जाने पर "नवीन इकाई" के रूप में इस नीति के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी। निवेश की गणना में नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो मान्य किया जाएगा तथा इकाई में विस्तार/शक्तीकरण/प्रतिस्थापन किए जाने पर भी नियमानुसार इस नीति के तहत अनुदान, छूट की पात्रता होगी।

(15.27.4) ऐसी इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आ चुकी है तथा वर्तमान में उत्पादनरत है, साथ ही विभाग से अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर चुकी है। ऐसी इकाई को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी को विक्रय करने से पूर्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा। विधिवत् अनुमति पश्चात् इकाई को केवल प्रतिस्थापन/शक्तीकरण/विस्तार की स्थिति में नियमानुसार अनुदान/छूट/रियायत की पात्रता होगी।

(15.27.5) ऐसी इकाई जो पूर्व में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हो तथा वर्तमान में बंद हो, साथ ही विभाग से अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर चुकी हो। ऐसी स्थिति में क्रेता ऐसी इकाई, विभाग द्वारा लागू बंद एवं बीमार उद्योग नीति के तहत अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर सकती है।

(15.27.6) औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं सहित जिन सेवा इकाईयों को इस नीति के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, ऐसी इकाईयां वाणिज्यिक/औद्योगिक व्यपवर्तित भूमि अथवा संबंधित सेवा हेतु व्यपवर्तित भूमि पर स्थापित हो सकेंगी।

(सात) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.23 में वर्णित प्रावधान के अनुसार निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिये प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित (प्रतिस्थापित) किया जाता है :-

राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुनर्निर्धारण कर

(डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

परंतु, सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में उपरोक्त निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्धता कम होने के कारण 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों को भी इन प्रावधानों का लाभ उपलब्ध भूमि के आधार पर अधिकतम अनुदान राशि में समानुपातिक कमी करते हुए प्रकरण स्वीकृत किये जा सकेंगे।

उपरोक्त अनुसार मूल प्रस्तावित क्षेत्रों के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 300 लाख तक अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

(आठ) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न विषयों पर किये गये संशोधन दिनांक 01 नवंबर, 2019 से लागू मान्य किये जाते हैं :-

क्र	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	विषय का संक्षिप्त विवरण
1	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 01 जून 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को पात्रता के संबंध में प्रावधान का समावेश हेतु संशोधन।
2	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 30 जुलाई 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को सहकारी क्षेत्र के साथ पीपीपी मोड में स्थापना पर पात्रता के संबंध में प्रावधान का समावेश हेतु संशोधन।
3	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 14 सितम्बर 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को अर्ली बर्ड इन्वेंटिव हेतु 06 माह के स्थान पर 18 की अवधि के प्रावधान हेतु संशोधन।
4	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर 2020,	स्टार्टअप पैकेज, अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग पैकेज, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान आदि का प्रावधान समावेश एवं अन्य संशोधन।
5	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 04 नवम्बर 2020,	वनांचल उद्योग पैकेज का समावेश एवं अन्य संशोधन।

(नौ) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में परिशिष्ट-2 में वर्णित उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में अनुक्रमांक-17 की वर्तमान प्रविष्टि को अनुक्रमांक-18 पर अंतरित करते हुए अनुक्रमांक 17 पर नवीन प्रविष्टि निम्नांकित अनुसार समावेश की जाती है :-

Handwritten signature

- 17 धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने योग्य जूट बैग/ बारदाना निर्माण उद्योग।
18 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जावें।

उपरोक्त (एक) से (नौ) तक के संशोधन औद्योगिक नीति 2019-24 में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से लागू माने जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— हस्ताक्षरित —

(मनोज कुमार पिंगुआ)

प्रमुख सचिव

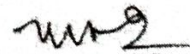
छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. एफ 20-01 /2021/11- नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

- 1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला- रायपुर।
- 2 संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, भू-तल रिंग रोड नं. 1 तेलीबांधा, रायपुर।
- 3 प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, प्रथम तल रिंग रोड नं.1 तेलीबांधा, रायपुर।
- 4 नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध कराये।
- 5 समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग